राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3122/2023

आशा लता –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान प्रधानाचार्य सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री इन्द्रजीत सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा पीजी अध्ययन पश्चात अपीलार्थी का पदस्थापन उप जिला चिकित्सालय, खेतड़ी, झुन्झुनूं में किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2042/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को अधिकरण के आदेश दिनांक 21.08.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और यह भी निर्देशित किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी के द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश के अनुसरण में विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया (अनुलग्नक–3)। उक्त स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी के द्वारा सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया गया। उसके बावजूद भी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वेतन का आहरण अगस्त 2023 से नहीं करवाया गया। अपीलार्थी ने विभाग को मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अपीलार्थी को हैरान परेशान करने के लिये अपीलार्थी के वेतन का आहरण नहीं करवाया जा रहा है। अपीलार्थी को उसके पदस्थापन स्थान से वेतन भुगतान कराया जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का बकाया वेतन का आहरण अगस्त 2023 से अक्टूबर 2023 तक एस. एम.एस मेडिकल कॉलेज, जयपुर से करवाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा पीजी अध्ययन पश्चात अपीलार्थी का पदस्थापन उप जिला चिकित्सालय, खेतड़ी, झुन्झुनूं में किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2042/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा उक्त आदेश को अधिकरण के आदेश दिनांक 21.08.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। उक्त स्थगन आदेश की पालना में अपीलार्थी ने सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को अगस्त, 2023 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि नियमानुसार अपीलार्थी की उपस्थिति की जांच कर अपीलार्थी का बकाया वेतन दो माह की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जावे एवं नियमानुसार नियमित रूप से वेतन भुगतान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य